

The Maintenance and Welfare of parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2022 (Amendment of section 21, etc.)

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भारणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

?कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भारणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूँ।

माननीय सभापति : आइटम नंबर 31, श्रीमती लॉकेट चटर्जी।

13.11 hrs